



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 19.09.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➤ वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल- 06)

थाना कुबेरस्थान -

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त सुल्तान अली पुत्र हफिजउल्ला सा0 कल्याण छापर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत धारा मु0न0 09/19 धारा 420,465,467,468,471 भादवि को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना जटहाँ बाजार -

थाना जटहाँ बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त मनीष गौड पुत्र जवाहर गौड सा0 सतहालुकपुर थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0- 60/19 धारा 128 सीआरपीसी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पटहेरवा -

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त भोला पुत्र जगरनाथ सा0 रहसुजनुयीपट्टी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 1771/12 धारा 323,504,506 भादवि को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सेवरही -

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्त क्रमशः 1. वीरु पुत्र लालमन सा0 गौरीजगदीश बिनटोलिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 158/14 धारा 147,148,149,323,504,506,325,308 भादवि व 2. अदालत तुरहा पुत्र दीप तुरहा 3. एक नफर अभियुक्ता को अन्तर्गत मु0नं0 1289/19 धारा 323,504,506 भादवि को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 14 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही सीज-01 कुल वाहन-42 से शमन शुल्क- रु0-16600/-
- 2- वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-06)

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक निर्देश-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र द्वारा आज दिनांक 19.09.2019 को समय 11:30 बजे पुलिस लाइन्स स्थित सभाकक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। गोष्ठी का प्रारम्भ जनपद के विभिन्न थानों से आये बाल कल्याण अधिकारी उ0नि0 व आरक्षीगण तथा बाल कल्याण चेर परसन, सी डब्ल्यू सी(चाईल्ड लाईन) व इससे सम्बन्धित अन्य प्रतिनिधियों की गोष्ठी की गयी तथा आपसी समन्वय व सहयोग के साथ कार्य करने पर बल दिया गया। उसके पश्चात जनपद के विभिन्न थानों से आये पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया। जिसमें कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में बतायी गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गयी। सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

अनवर्क आउट अभियोगों को वर्क आउट किया जाये।

गौ तस्करी / गोकसी के अपराधों पर जीरो टालरेन्स रखते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

अवैध शराब निष्कर्षण/ बिक्री, मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही किया जाये।

हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी के अपराधों पर पूर्णतया अंकुश लगाने व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

एण्टी रोमियों स्क्वाड द्वारा कालेज एवं विद्यालय के आस-पास शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाये।

टॉप 10 में चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही किया जाये तथा टॉप 10 अपराधियों की सूची को निरन्तर अद्यावधिक(अपडेट) करते हुए नये अपराधियों को सूची में सम्मिलित किया जाय।

थानों में पड़े मालों का निस्तारण किया जाय। लावारिस, लादावा, केस प्रापर्टी, आर0टी0ओ0 द्वारा दाखिल वाहनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाये।

मा0 न्यायालय में गवाहों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराकर गवाही दर्ज करायी जाये तथा मुकदमों में पैरवी कर अधिक से अधिक मामलों में अपराधियों को सजा दिलवायी जाय।

विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने, अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, वांछित / वारंटियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी किये जाने व निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम व रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर निर्देश दिया गया। पुरस्कार घोषित अपराधियों के बारे में समीक्षा कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए कड़े निर्देश दिये गये। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा आगामी त्यौहार दशहरा/नवरात्र को सकुशल / शान्ति ढंग से सम्पन्न कराने हेतु समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।

सी-प्लान ऐप तथा यूपी पुलिस पीएमएस ऐप के सम्बन्ध में गोष्ठी में बताया गया। आपराधिक घटना की सूचना पर घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया। आम जनता से अच्छा व्यवहार, जनप्रतिनिधियों का सम्मान तथा मीडिया के लोगो से भी अच्छा सम्बन्ध रखने एवं किसी भी घटना के समय घटना के बारे में सही जानकारी से तत्काल सभी को अवगत कराया जाय ताकि आम जनता में गलत लोगो द्वारा कोई अफवाह न फैलाई जा सके। अपराध नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने तथा अपराधियों के विरुद्ध अफेन्सिव पुलिसिंग करते हुए उचित एक्शन लेने हेतु निर्देश दिया गया। 1090 पर प्राप्त शिकायतों का थाना पर प्रतिदिन अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

उक्त गोष्ठी में जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा आगामी दशहरा/नवरात्र त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सतर्कता व निरोधात्मक कार्यवाही, बाढ़ के दृष्टिगत सतर्कता, रास्तों एवं जमीनी विवादों में राजस्व विभाग के सहयोग से थाना समाधान दिवस पर उचित ढंग से समस्याओं के निराकरण तथा थानावार टाप-10 अपराधियों की सूची को लगातार कार्यवाही करते हुए अपडेट करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव बंशवाल, क्षेत्राधिकारी सदर श्री नीतेश प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी कसया श्री रामदास, क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री नवीन कुमार नायक, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञानशाखा, निरीक्षक रेडियोशाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी मीडिया सेल, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, प्रभारी विशेष जाँच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, प्रभारी डायल-100, प्रभारी यातायात, रीडर व पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

**मीडिया सेल
कुशीनगर।**